

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 7, सोमवार, शाके 1937-अप्रैल 27, 2015 Vaisakha 7, Monday, Saka 1937-April 27, 2015	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 27, 2015

संख्या प. 2 (30) विधि/2/2015:-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 19)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को प्राप्त हुई]

अधिसूचित बस टर्मिनलों पर सुविधाओं के सृजन, विकास और प्रचालन के लिए और राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के गठन के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्राधिकरण" से धारा 4 के अधीन गठित राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "रियायत" से अधिसूचित बस टर्मिनलों या उनके भाग के विकास, वित्तपोषण और प्रचालन के लिए प्राधिकरण और किसी व्यक्ति के बीच की गयी संविदा में विनिर्दिष्ट अधिकार और बाध्यताएं अभिप्रेत हैं;

(घ) "रियायतग्राही" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने प्राधिकरण के साथ किसी रियायत के लिए और उसके संबंध में कोई संविदा की है;

(ङ) "परामर्शी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास प्राधिकरण के कृत्यों से संबंधित विषयों पर प्राधिकरण की सहायता करने और सलाह देने के लिए अर्हता, अनुभव और विशेषज्ञता हो;

(च) "अधिक्रमण" से किसी भी अधिसूचित बस टर्मिनल या उसके किसी भाग का अप्राधिकृत अधिभोग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत है,-

(i) अधिसूचित बस टर्मिनल या उसके किसी भाग पर किसी भवन का, या उस पर, उसके ऊपर या, उसके ऊपर लटकती हुई अन्य किसी संरचना, बालकनियों, देहरियों, दालानों या प्रक्षेपों का परिनिर्माण;

(ii) अधिसूचित बस टर्मिनलों के परिसरों में किसी भी प्रकार की सामग्री या माल का अप्राधिकृत ढेर या विक्रय के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन या किसी भी अस्थायी संरचना का परिनिर्माण या यानों की पार्किंग;

(छ) "सुविधा" के अन्तर्गत अधिसूचित बस टर्मिनलों के उपयोक्ताओं के लिए होटल, मोटल, रेस्तरां, सेवा केन्द्र, अस्पताल, खरीददारी संकुल, कार्यालय संकुल, भंडारण सुविधाएं, संभार तंत्र केन्द्र, मनोरंजन संकुल और अन्य सेवाएं और सुविधाएं हैं;

(ज) "सदस्य" से प्राधिकरण का धारा 4 के अधीन नियुक्त सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष है;

(झ) "अधिसूचित बस टर्मिनल" से धारा 3 के अधीन अधिसूचित बस टर्मिनल अभिप्रेत है;

(ञ) किसी अधिसूचित बस टर्मिनल के संबंध में "प्रचालन" के अन्तर्गत उसका संधारण, मरम्मत, उपांतरण, सुधार, प्रबंध, विनियमन, और उपयोक्ता प्रभारों का संग्रहण है और "प्रचालन करना" का अर्थान्वयन तदनुसार किया जायेगा;

(ट) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या कोई भागीदारी फर्म है;

(ठ) "प्राइवेट बस प्रचालक" से राज्य परिवहन उपक्रम से भिन्न ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो बस सेवाओं का प्रचालन करता है;

(ड) "विनियम" से प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं; और

(ढ) "नियम" से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं।

अध्याय 2

बस टर्मिनलों की अधिसूचना और प्राधिकरण का गठन

3. बस टर्मिनलों की अधिसूचना.- (1) राज्य सरकार उसमें निहित किसी भी बस टर्मिनल को उसके परिसर विनिर्दिष्ट करते हुए इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिसूचित कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख से उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट परिसर और उसमें की संपत्ति प्राधिकरण में निहित हो जायेगी और प्राधिकरण द्वारा उनका उपयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा।

4. प्राधिकरण का गठन.- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण का गठन करेगी जिसका नाम राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण होगा।

(2) यह प्राधिकरण शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला, पूर्वोक्त नाम का, निगमित निकाय होगा जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की संपत्तियों का

अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर में या ऐसे अन्य स्थान पर होगा जो राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे।

(4) प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

- (क) राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त किया जाने वाला अध्यक्ष;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त किये जाने वाले चार पूर्णकालिक सदस्य;
- (ग) राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियुक्त किये जाने वाले छह अंशकालिक सदस्य जिनमें से तीन राज्य सरकार के सचिव से अनिम्न रैंक के राज्य सरकार के अधिकारी होंगे जिनमें से प्रत्येक क्रमशः वित्त विभाग, योजना विभाग और परिवहन विभाग से होगा और शेष तीन प्रबंध, वित्त, बैंककारी, परिवहन सेवा, अभियांत्रिकी, वास्तुकला, होटल और रेस्तरां, वाणिज्य और उद्योग और विधिक या लेखाविधि के क्षेत्र से विख्यात व्यक्ति होंगे।

(5) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य निम्नलिखित से बनी छानबीन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे-

- | | |
|--|---------------|
| (क) राज्य सरकार का मुख्य सचिव | - अध्यक्ष; |
| (ख) प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग | - सदस्य; |
| (ग) प्रभारी शासन सचिव, योजना विभाग | - सदस्य; |
| (घ) प्रभारी शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग | - सदस्य; और |
| (ङ) प्रभारी शासन सचिव, परिवहन विभाग | - सदस्य-सचिव। |

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा और धारा 31 के प्रयोजनों के लिए "प्रभारी शासन सचिव" से, किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव है, जब वह विभाग का प्रभारी हो।

5. सदस्यों की निरर्हताएं.- कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य होने या इस रूप में नियुक्त किये जाने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह-

- (क) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या
- (ख) अनुन्मोचित दिवालिया है; या
- (ग) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया हुआ है; या
- (घ) केन्द्रीय सरकार या किसी भी राज्य सरकार की या उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय की सेवा से पदच्युत किया गया है; या
- (ङ) राज्य सरकार की राय में, प्राधिकरण में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जिसका उसके सदस्य के रूप में उसके द्वारा कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

6. सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें.- (1)(i) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य ऐसी तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की कालावधि तक या उसके पैंसठ वर्ष की आयु का होने तक या सरकार के प्रसादपर्यन्त, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा; और

(ii) प्रत्येक गैर-सरकारी अंशकालिक सदस्य ऐसी तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करता है, दो वर्ष की कालावधि तक या उसके पैंसठ वर्ष की आयु का होने तक या राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(2) गैर-सरकारी सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो नियमों द्वारा विहित की जायें।

(3) कोई गैर-सरकारी सदस्य अपने पद का त्याग राज्य सरकार को लिखित में नोटिस देकर कर सकेगा और ऐसा त्यागपत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर ऐसे सदस्य के लिए यह समझा जायेगा कि उसने पद रिक्त कर दिया है।

7. बैठकें.- (1) प्राधिकरण की बैठकें ऐसे समय और स्थान पर होंगी और वह अपनी बैठकों में कार्य संचालन के बारे में ऐसे प्रक्रिया-

नियमों, जिनके अन्तर्गत ऐसी बैठकों की गणपूर्ति है, का पालन करेगा जो नियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) अध्यक्ष या, यदि वह किसी भी कारण से प्राधिकरण की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया, कोई भी अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) ऐसे सभी प्रश्न, जो प्राधिकरण की किसी भी बैठक के समक्ष आते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का, या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति का, दूसरा या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

8. रिक्ति से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.- प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि-

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है।

9. प्राधिकरण के आदेशों का अधिप्रमाणन.- प्राधिकरण के सभी आदेश, विनिश्चय और अन्य लिखतें अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य या प्राधिकरण के इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित की जायेंगी।

10. प्राधिकरण की प्रशासनिक और कृत्यकारी संरचना.- प्राधिकरण की प्रशासनिक और कृत्यकारी संरचना ऐसे विनिर्मित की जायेगी जो प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त बनाये गये विनियमों में विहित हो।

11. अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति.- (1) प्राधिकरण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इतने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे।

(2) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार के

पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा विहित की जायें।

(3) प्राधिकरण समय-समय पर किसी भी व्यक्ति को, जैसा वह आवश्यक समझे, परामर्शी के रूप में ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त कर सकेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

अध्याय 3

प्राधिकरण के कृत्य और शक्तियां

12. प्राधिकरण के कृत्य और शक्तियां.- (1) अधिसूचित बस टर्मिनलों पर सुविधाओं का सृजन, विकास और प्रचालन करना और ऐसे अधिसूचित बस टर्मिनलों से राज्य परिवहन उपक्रमों और प्राइवेट बस प्रचालकों द्वारा बसों के चलाये जाने को कारगर और सुकर बनाना प्राधिकरण का कार्य होगा।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन या शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात्:-

- (क) नयी सुविधाओं का संनिर्माण करना या विद्यमान सुविधाओं का उन्नयन करना;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के अध्यक्षीन, उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं और सुविधाओं के बारे में भाटक, फीस या उपयोक्ता प्रभार प्रभारित और संगृहीत करना;
- (ग) उधार लेना और इस अधिनियम के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए संविदाएं करना;
- (घ) अधिसूचित बस टर्मिनलों पर यात्रियों और अन्य उपयोक्ताओं के उपयोग के लिए डाक, धन विनिमय, बैंककारी सेवाओं, बीमा और दूरभाष सुविधाओं की व्यवस्था करना;
- (ङ) अधिसूचित बस टर्मिनलों पर यानों के चलाये जाने, यात्रियों और अन्य उपयोक्ताओं के प्रवेश और निकास की संरक्षा और सुरक्षा, राज्य सरकार के प्रोटोकाल

- कृत्यों और तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि का ध्यान रखते हुए, विनियमन और नियंत्रण करना;
- (च) इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट विषयों के लिए विनियम बनाना;
- (छ) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति करना;
- (ज) अधिसूचित बस टर्मिनलों पर संपत्ति, यात्रियों और अन्य उपयोक्ताओं की संरक्षा और सुरक्षा के लिए पहरे और निगरानी के लिए समुचित व्यवस्थाएं करना; और
- (झ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना या ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या साधक हों या राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदिष्ट की जायें।

(3) प्राधिकरण इस धारा के अधीन अपने कृत्यों का निष्पादन या तो स्वयं कर सकेगा या रियायतग्राही या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से कर सकेगा।

(4) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात का अर्थान्वयन इस प्रकार नहीं किया जायेगा कि वह-

- (क) प्राधिकरण द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अवहेलना को प्राधिकृत करती है; या
- (ख) किसी व्यक्ति को ऐसे किसी कर्तव्य या दायित्व, जिसके कि प्राधिकरण या उसके अधिकारी या कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन अन्यथा अध्यधीन नहीं होंगे, के संबंध में कोई कार्यवाही संस्थित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

13. प्राधिकरण का राज्य सरकार के निदेशों द्वारा आबद्ध होना.- इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो राज्य सरकार समय-समय पर उसे लिखित में दे।

अध्याय 4

संपत्ति और संविदाएं

14. राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण के लिए भूमि का अर्जन.- जहां प्राधिकरण के किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि प्राधिकरण को उसके किन्हीं भी कृत्यों का पालन करने में समर्थ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य के किसी भाग में किसी भूमि का अर्जन किया जाये तो राज्य सरकार भूमि के अर्जन से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के उपबंधों के अधीन और अनुसार भूमि का अर्जन कर सकेगी।

15. प्राधिकरण का संविदा करने में सक्षम होना.- प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कोई भी संविदा करने और उसका पालन करने के लिए सक्षम होगा और ऐसी संविदा के अन्तर्गत रियायत करार हो सकेंगे।

16. प्राधिकरण की ओर से संविदाएं निष्पादित करने का ढंग.- (1) प्राधिकरण की ओर से प्रत्येक संविदा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा या ऐसे अन्य सदस्य या ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशेष रूप से सशक्त किया जाये, की जायेगी और ऐसी संविदाओं या ऐसी संविदाओं के वर्गों को, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा से मुद्रांकित किया जायेगा:

परन्तु ऐसे मूल्य या रकम, जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, से अधिक की कोई भी संविदा, तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि उसका राज्य सरकार द्वारा पूर्वानुमोदन नहीं कर दिया गया हो:

परन्तु यह और कि स्थावर संपत्ति के अर्जन या विक्रय के लिए या ऐसी किसी संपत्ति के पांच वर्ष से अधिक की अवधि के पट्टे के लिए कोई संविदा तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसका पूर्वानुमोदन न कर दिया गया हो।

(2) उप-धारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वह प्ररूप और रीति, जिसमें कोई भी संविदा इस अधिनियम के अधीन की जायेगी, ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

(3) कोई भी संविदा, जो इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुसार नहीं है, प्राधिकरण पर आबद्धकर नहीं होगी।

अध्याय 5

वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा

17. राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को अनुदान.- राज्य सरकार-

(क) ऐसी निधि, जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए या उनसे संसक्त किसी भी प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर प्रदान कर सकेगी जो राज्य सरकार अवधारित करे; और

(ख) उधारों या अनुदानों के रूप में प्राधिकरण को ऐसी धनराशि, जो राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर संदत्त कर सकेगी जो राज्य सरकार अवधारित करे।

18. प्राधिकरण की निधि.- (1) "राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण निधि" नामक एक निधि होगी जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जायेंगी, जिनके अन्तर्गत हैं,-

(क) प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त कोई भी निधि, अनुदान या उधार;

(ख) ऐसी अन्य धनराशियां, जो प्राधिकरण को राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, या किसी भी अन्य प्राधिकरण या एजेंसी द्वारा अनुदान, उधार, अग्रिम के रूप में या अन्यथा संदत्त की जायें;

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा संगृहीत कोई भी भाटक, फीस या उपयोक्ता प्रभार; और

(घ) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई अन्य राशियां।

(2) प्राधिकरण की निधि का उपयोग सर्वथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा, न कि अन्यथा।

(3) प्राधिकरण की निधि का प्रशासन ऐसी रीति से किया जायेगा जो नियमों द्वारा विहित की जाये।

19. बजट.- (1) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाये, अपना बजट तैयार करेगा जिसमें प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित किये जायेंगे और उसे राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया जायेगा।

(2) कोई भी राशि प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से तब तक खर्च नहीं की जायेगी जब तक कि उसका व्यय राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आता हो।

20. निधियों का विनिधान.- प्राधिकरण अपनी निधि में से इतनी धनराशि, जितनी प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जाये, किसी भी अनुसूचित बैंक या किसी भी सहकारी बैंक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित अन्य बैंक में चालू खाते या जमा खाते में रख सकेगा और उक्त राशि से अधिक किसी धन का विनिधान ऐसी रीति से किया जायेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये।

21. प्राधिकरण की उधार लेने की शक्तियां.- प्राधिकरण राज्य सरकार की सहमति से या राज्य सरकार द्वारा उसे दिये गये किसी भी साधारण या विशेष प्राधिकार के निबंधनों के अनुसार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धन उधार ले सकेगा।

22. वार्षिक रिपोर्ट.- प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, ऐसे प्ररूप में, जो नियमों द्वारा विहित किया जाये, रिपोर्ट तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का ब्यौरा होगा और रिपोर्ट में ऐसे क्रियाकलापों का ब्यौरा भी होगा जिनके चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा हाथ में लिये जाने की संभावना है।

23. लेखे और लेखापरीक्षा.- प्राधिकरण के लेखाओं का संधारण और लेखापरीक्षा ऐसी रीति से की जायेगी जो राज्य सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से, नियमों द्वारा विहित करे और

प्राधिकरण उसके लेखाओं को लेखापरीक्षक प्रति उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ, ऐसी तारीख के पूर्व, जो नियमों द्वारा विहित की जाये, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

24. वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जाना.- राज्य सरकार प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, उनके प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय 6

अपराध और शास्तियां

25. अधिक्रमण का हटाया जाना और शास्ति अधिरोपित किया जाना.- (1) प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी किसी अधिसूचित बस टर्मिनल के परिसर से कोई भी अधिक्रमण, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, हटा सकेगा और ऐसा करने में वह युक्तियुक्त बल का प्रयोग कर सकेगा।

(2) ऐसा अधिक्रमण हटाने के अतिरिक्त, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी अधिक्रमी पर पच्चीस हजार रुपये से अनधिक की शास्ति भी अधिरोपित कर सकेगा और ऐसी शास्ति अधिक्रमी से ऐसे अधिक्रमण के हटाये जाने के खर्च के साथ वसूल कर सकेगा।

26. नुकसानी और विरूपण इत्यादि के लिए शास्ति.- प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति पर, जो किसी अधिसूचित बस टर्मिनल के परिसर या उसके किसी भाग या प्राधिकरण की किसी भी संपत्ति को जानबूझकर नुकसान कारित करता है या विरूपित करता है या किसी अधिसूचित बस टर्मिनल का उपयोग करने वाली बसों, यानों और व्यक्तियों की सुरक्षा या उस पर की किसी भी सुविधा को खतरे में डालता है, पच्चीस हजार रुपये से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और ऐसी शास्ति ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार नुकसानित या विरूपित की गयी संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने के खर्च के साथ वसूल कर सकेगा।

27. अपराधों के दंड के लिए साधारण उपबंध- जो कोई भी इस अधिनियम के या तदधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों या विनियमों के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, यदि ऐसे उल्लंघन के लिए कोई शास्ति उपबंधित नहीं है तो वह प्राधिकरण को ऐसी शास्ति का संदाय करने का दायी होगा जो,-

(क) पहले उल्लंघन की दशा में दस हजार रुपये तक की हो सकेगी; और

(ख) दूसरे या पश्चात्त्वर्ती उल्लंघन की दशा में दो हजार पांच सौ रुपये से कम की नहीं होगी किन्तु जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी।

28. कंपनियों द्वारा अपराध.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उप-धारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध किये जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

अध्याय 7

विविध

29. राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन.- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदिष्ट कर सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति (धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को छोड़कर) ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, प्राधिकरण या किसी भी अन्य प्राधिकरण द्वारा या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, प्रयोक्तव्य होंगी।

30. प्राधिकरण द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन.- प्राधिकरण, लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के अधीन की अपनी ऐसी शक्तियों (धारा 38 की अपनी शक्तियों को छोड़कर) और ऐसे कृत्यों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

31. अपील और पुनरीक्षण.- (1) इस अधिनियम के अधीन किसी भी अधिकारी के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय या आदेश की संसूचना से साठ दिन के भीतर,-

(क) यदि ऐसा अधिकारी राज्य सरकार के अधीनस्थ है तो, प्रभारी सचिव, परिवहन विभाग को; और

(ख) यदि ऐसा अधिकारी प्राधिकरण के अधीनस्थ है तो, प्राधिकरण को,-

अपील कर सकेगा:

परन्तु प्रभारी सचिव, परिवहन विभाग, या, यथास्थिति, प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी उक्त कालावधि के भीतर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित हो गया था, साठ दिन से अनधिक की और कालावधि के भीतर अपील फाइल किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) प्रभारी सचिव, परिवहन विभाग, या, यथास्थिति, प्राधिकरण के किसी विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति विनिश्चय की संसूचना की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राज्य सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका फाइल कर सकेगा:

परन्तु राज्य सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि याची उक्त कालावधि के भीतर पुनरीक्षण याचिका फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित हो गया था, नब्बे दिन से अनधिक की और कालावधि के भीतर अपील फाइल किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगी।

32. अधिकारिता का वर्जन.- इस अधिनियम में यथाउपबंधित के सिवाय, कोई भी अपील किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण को नहीं हो सकेगी और किसी भी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी जिसके संबंध में राज्य सरकार, या प्राधिकरण या राज्य सरकार या प्राधिकरण के किसी अधिकारी को इस अधिनियम के द्वारा या अधीन सशक्त किया गया है और इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी भी कार्रवाई के संबंध में कोई भी व्यादेश किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा नहीं दिया जायेगा।

33. जांच का संचालन.- इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, यदि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई जांच करने का विनिश्चय करता है, ऐसी रीति से जांच करेगा जो विनियमों द्वारा विहित की जाये।

34. प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना.- प्राधिकरण के सभी सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी, जब इस अधिनियम के या तदधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों या

विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

35. **सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.**- प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी भी सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों या विनियमों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

36. **पुलिस अधिकारी के कर्तव्य.**- पुलिस अधिकारी प्राधिकरण और उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों या विनियमों के अधीन उनकी शक्तियों के प्रयोग या उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करेगा।

37. **राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.**- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा,-

(क) प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ख) धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकरण की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया नियम जिनके अन्तर्गत गणपूर्ति है;

(ग) प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2) के अधीन उपलब्ध करायी गयी सेवाओं और सुविधाओं के संबंध में भाटक, फीस या उपयोक्ता प्रभारों का प्रभारण और संग्रहण;

- (घ) धारा 18 की उप-धारा (3) के अधीन प्राधिकरण की निधि के प्रशासन की रीति;
- (ङ) वह प्ररूप, जिसमें और वह समय, जिस पर बजट धारा 19 के अधीन तैयार किया जाना है;
- (च) वह प्ररूप, जिसमें प्राधिकरण द्वारा धारा 22 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी; और
- (छ) प्राधिकरण के लेखाओं के संधारण की रीति और वह प्ररूप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण प्राधिकरण द्वारा धारा 23 के अधीन प्रस्तुत किया जायेगा।

38. प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति.- (1) प्राधिकरण, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी विषयों या इनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- (क) धारा 10 के अधीन प्राधिकरण की प्रशासनिक और कृत्यकारी संरचना;
- (ख) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के धारा 11 की उप-धारा (2) के अधीन वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;
- (ग) धारा 11 की उप-धारा (3) के अधीन परामर्शी के नियोजन के निबंधन और शर्तें;
- (घ) संविदाएं या संविदाओं के वर्ग जिन्हें धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकरण की सामान्य मुद्रा से मुद्रांकित किया जाना है;
- (ङ) वह प्ररूप जिसमें और रीति जिससे प्राधिकरण द्वारा धारा 16 की उप-धारा (2) के अधीन संविदाएं की जायेंगी;
- (च) वह रीति जिससे धारा 20 के अधीन प्राधिकरण के अधिक धन का विनिधान किया जायेगा;
- (छ) वह रीति जिससे धारा 33 के अधीन जांच की जायेगी;

- (ज) अधिसूचित बस टर्मिनल का उपयोग करने वाली बसों, यानों और व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और बसों के उपयोग और प्रचालन से जनता को होने वाले खतरे को निवारित करना;
- (झ) अधिसूचित बस टर्मिनल के भीतर उसके सामान्य कृत्यकरण के लिए बाधा निवारित करना;
- (ञ) अधिसूचित बस टर्मिनल के भीतर, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट स्थानों को छोड़कर, किसी भी यान या वाहन की पार्किंग या प्रतीक्षा को प्रतिषिद्ध करना;
- (ट) अधिसूचित बस टर्मिनल के किसी भाग तक पहुंच को प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करना;
- (ठ) अधिसूचित बस टर्मिनल के भीतर व्यवस्था बनाये रखना और संपत्ति इत्यादि की नुकसानी को निवारित करना;
- (ड) अधिसूचित बस टर्मिनल के भीतर विज्ञापनों को विनियमित या निर्बंधित करना;
- (ढ) किसी व्यक्ति से, यदि प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी भी अधिकारी द्वारा इस प्रकार निदिष्ट किया जाये तो, अधिसूचित बस टर्मिनल या अधिसूचित बस टर्मिनल के किसी भाग विशेष को छोड़ने की अपेक्षा करना; और
- (ण) साधारणतया अधिसूचित बस टर्मिनल का दक्ष और उचित प्रबंध, विकास और उन्नयन करने के लिए।

(3) उप-धारा (2) के खण्डों (क) से (ण) में से किसी के अधीन बनाये गये किसी भी विनियम में यह उपबंध किया जा सकेगा कि उसका उल्लंघन पच्चीस हजार रुपये से अनधिक के ऐसे जुर्माने से, जो ऐसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये और निरंतर उल्लंघन की दशा में प्रतिदिन पांच सौ रुपये से अनधिक के ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होगा, जो ऐसे उल्लंघन के लिए ऐसे विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(4) प्राधिकरण द्वारा इस धारा के अधीन बनाये गये किसी भी विनियम का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि वह राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न हो और राजपत्र में प्रकाशित न किया गया हो।

39. नियमों और विनियमों का राजस्थान राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जाना.- इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम, उसके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि, उस सत्र की, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किसी भी नियम में कोई उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम या, यथास्थिति, विनियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

40. शास्ति इत्यादि की वसूली.- इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये विनियमों के अधीन वसूलीय कोई भी शास्ति, खर्च या कोई अन्य रकम, यदि तुरंत संदत्त नहीं की जाती है तो, प्राधिकरण के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के प्रमाणपत्र पर भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

41. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसा आदेश कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हो और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, April 27, 2015

No. F. 2 (30) Vidhi/2/2015.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the Following translation in the English language of the Rajasthan Rajya Bus Terminal Vikas Pradhikaran Adhiniyam, 2015 (2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 19):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN STATE BUS TERMINAL
DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2015**

(Act No. 19 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 24th day of April, 2015]

An

Act

to provide for the creation, development and operation of facilities at the notified bus terminals and for the constitution of the Rajasthan State Bus Terminal Development Authority and for the matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan State Bus Terminal Development Authority Act, 2015.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.-In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Authority" means the Rajasthan State Bus Terminal Development Authority constituted under section 4;

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;

(c) "concession" means the rights and obligations specified in a contract entered into between the Authority and any person for the development, financing and operation of the notified bus terminals or part thereof;

(d) "concessionaire" means a person who has entered into a contract with the Authority for and in respect of a concession;

(e) "consultant" means a person who has the qualification, experience, and expertise to assist and advise the Authority on matters related to the functions of the Authority;

(f) "encroachment" means unauthorized occupation of any notified bus terminal or part thereof, and includes,-

(i) the erection of a building or any other structure, balconies, thresholds, porches or projections on, over, or overhanging, the notified bus terminal or any part thereof;

(ii) unauthorized stacking of materials or goods of any description or exhibiting of articles for sale or erecting of any temporary structure or parking of vehicles at the premises of notified bus terminals;

(g) "facility" includes hotel, motel, restaurants, service stations, hospitals, shopping complexes, office complexes, storage facilities, logistic hubs, entertainment complexes and other services and facilities for the users of notified bus terminals;

(h) "member" means a member of the Authority appointed under section 4 and includes a Chairperson;

(i) "notified bus terminal" means the bus terminal notified under section 3;

(j) "operation", in relation to a notified bus terminal, includes its maintenance, repair, modification, improvement, management, regulation, and collection of user charges and "operate" shall be construed accordingly;

(k) "person" includes any company or association or body of individuals, whether incorporated or not, or a partnership firm;

(l) "private bus operator" means a person, other than State Transport Undertakings, who operates bus services;

(m) "regulations" means the regulations made by the Authority under this Act; and

(n) "rules" means the rules made by the State Government under this Act.

CHAPTER II

Notification of Bus Terminals and Constitution of the Authority

3. Notification of the bus terminals.- (1) The State Government may notify any bus terminal vested in it for the purpose of this Act specifying the premises thereof.

(2) With effect from the date of notification under sub-section (1), the premises specified in the said notification and the property therein shall vest in the Authority and may be utilised by the Authority for the purposes of this Act.

4. Constitution of the Authority.- (1) The State Government shall, as soon as may be after the commencement of this Act, constitute, by notification in the Official Gazette, an authority to be called the Rajasthan State Bus Terminal Development Authority for the purposes of this Act.

(2) The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal, with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold, and dispose of property, both movable and immovable, and to contract, and may by the said name sue and be sued.

(3) The headquarters of the Authority shall be at Jaipur or at such other place as the State Government may notify in this behalf.

(4) The Authority shall consist of -

- (a) a Chairperson, to be appointed by the State Government, by notification in the Official Gazette;
- (b) four full time members, to be appointed by the State Government, by notification in the Official Gazette;
- (c) six part-time members to be appointed by the State Government by notification in the Official Gazette, out of which three shall be the officers of the State Government, not below the rank of a Secretary to the State Government, one each of whom shall be from the Finance Department, the Planning Department and the Transport Department respectively, and the remaining three shall be eminent persons from the field of management, finance, banking, transport services, engineering, architecture, hotel and restaurant, commerce and industry and legal or accountancy profession.

(5) The Chairperson and full time members shall be appointed by the State Government on the recommendation of a screening committee consisting of-

- (a) Chief Secretary to the - Chairperson;
State Government

- (b) Secretary to the - Member;
Government incharge of
Finance Department
- (c) Secretary to the - Member;
Government incharge of
Planning Department
- (d) Secretary to the - Member; and
Government incharge of
Public Works Department
- (e) Secretary to the - Member-secretary.
Government incharge of
Transport Department

Explanation.- For the purposes of this sub-section and section 31, expression "Secretary to the Government incharge" means the Secretary to the Government incharge of a department and includes an Additional Chief Secretary or a Principal Secretary when he is incharge of a department.

5. Disqualification of members.- A person shall be disqualified to be, or from being appointed as, the Chairperson or a member, if he -

- (a) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or
- (b) is an undischarged insolvent; or
- (c) is of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or
- (d) has been dismissed from service of the Central or any State Government or a body corporate owned and controlled by that Government; or
- (e) has in the opinion of the State Government, such financial or other interests in the Authority as is likely to affect, prejudicially, the discharge by him of his functions as a member.

6. Term of office and conditions of service of members.- (1) (i) The Chairperson and a full time member shall hold office for a period of three years from the date on which he enters upon his office, or till he attains the age of sixty five years, or during the pleasure of the State Government, whichever is earlier; and

(ii) Every *non-official* part-time member shall hold office for a period of two years from the date on which he enters upon his

office, or till he attains the age of sixty five years, or during the pleasure of the State Government, whichever is earlier.

(2) The salary, allowances and other terms and conditions of service of the non-official members shall be such as may be prescribed by rules.

(3) Any *non-official* member may resign his office by giving notice in writing to the State Government and on such resignation being accepted by the State Government, such member shall be deemed to have vacated his office.

7. Meetings.- (1) The Authority shall meet at such time and place, and shall observe such rules of procedure, including quorum at such meetings, in regard to the transaction of the business at its meetings as may be prescribed by rules.

(2) The Chairperson or, if for any reason he is unable to attend any meeting of the Authority, any other member chosen by the members present at the meeting shall preside over the meeting.

(3) All questions which come up before any meeting of the Authority shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting, and, in the event of an equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the person presiding, shall have and exercise a second or casting vote.

8. Vacancy not to invalidate proceedings.- No act or proceeding of the Authority shall be invalid merely by reason of-

- (a) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Authority; or
- (b) any defect in the appointment of a person acting as a member of the Authority; or
- (c) any irregularity in the procedure of the Authority not affecting the merits of the case.

9. Authentication of orders of the Authority.- All orders, decisions and other instruments of the Authority shall be authenticated by the signature of the Chairperson or any other member or any officer of the Authority authorized by it in this behalf.

10. Administrative and functional structure of the Authority.- The administrative and functional structure of the Authority shall be formulated as prescribed in the regulations made in this behalf by the Authority.

11. Appointment of officers and employees.- (1) For the purposes of discharging its functions, the Authority may, with the prior approval of the State Government, appoint such number of officers and employees as it may consider necessary.

(2) The salary, allowances and other terms and conditions of service of the officers and employees of the Authority shall be such as may be prescribed by the regulations made by the Authority with the prior approval of the State Government.

(3) The Authority may appoint, from time to time, any person as consultant as it may consider necessary, on such terms and conditions as may be specified by the regulations.

CHAPTER III

Functions and Powers of the Authority

12. Functions and powers of the Authority.- (1) It shall be the function of the Authority to create, develop and operate the facilities at the notified bus terminals and to streamline and facilitate the running of buses by State Transport Undertakings and private bus operators from such notified bus terminals.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-section (1), the Authority shall discharge or exercise the following functions or powers, namely: -

- (a) to construct new facilities or upgrade existing facilities;
- (b) to charge and collect rental, fee or user charges in connection with the services and the facilities provided by it, subject to such rules as may be made by the State Government in this behalf;
- (c) to raise loans and enter into contracts for the purposes and objects of this Act;
- (d) to arrange for postal, money exchange, banking services, insurance and telephone facilities for the use of passengers and other users at the notified bus terminals;
- (e) to regulate and control the plying of vehicles, and the entry and exit of passengers and other users in the notified bus terminals with due regard to the security and safety, and protocol functions of the State Government and any other law for time being in force;
- (f) to frame regulations for the matters specified in this Act;
- (g) to recruit and appoint officers and employees of the Authority;
- (h) to make appropriate arrangements for watch and ward at notified bus terminals for the safety and

security of property, passengers and other users;
and

- (i) to discharge such other functions or exercise such other powers as may be necessary or conducive for the purposes of this Act or as may be assigned to it by the State Government.

(3) The Authority may carry out its functions under this section either by itself or through a concessionaire or any other agency.

(4) Nothing contained in this section shall be construed as-

(a) authorizing the disregard by the Authority of any law for the time being in force; or

(b) authorizing any person to institute any proceeding in respect of a duty or liability to which the Authority or its officers or other employees would not be otherwise subject to under this Act.

13. Authority to be bound by directions of the State Government.-Without prejudice to the other provisions of this Act, the Authority in discharge of its functions and duties under this Act, be bound by such directions, not inconsistent with the provisions of this Act, as the State Government may give to it in writing from time to time.

CHAPTER IV

Property and Contracts

14. Acquisition of land by the State Government for the Authority.-Where, on any representation from the Authority or otherwise, it appears to the State Government that, in order to enable the Authority to perform any of its functions it is necessary that any land in any part of the State should be acquired, the State Government may acquire the land under and in accordance with the provisions of any law, for the time being in force, relating to acquisition of land.

15. Authority competent to enter into contract.- The Authority shall be competent to enter into and perform any contract necessary for the discharge of its functions under this Act and such contract may include concession agreements.

16. Mode of executing contracts on behalf of the Authority.- (1) Every contract shall, on behalf of the Authority, be made by the Chairperson or such other member or such officers of the Authority as may be generally or specially empowered in this behalf by the Authority and such contracts or classes of contracts

as may be specified by the regulations shall be sealed with the common seal of the Authority:

Provided that no contract exceeding such value or amount as the State Government may prescribe in this behalf shall be made unless it has been previously approved by the State Government:

Provided further that no contract for the acquisition or sale of immovable property, or for the lease of any such property for a term exceeding five years shall be made without the previous approval of the State Government.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), the form and manner in which any contract shall be made under this Act shall be such as may be specified by the regulations.

(3) No contract which is not in accordance with the provisions of this Act and the rules or regulations made thereunder shall be binding on the Authority.

CHAPTER V

Finance, Accounts and Audit

17. Grants by the State Government to the Authority.- The State Government may-

- (a) provide such fund as may be required by the Authority for the discharge of its functions under this Act or for any purpose connected therewith on such terms and conditions as the State Government may determine; and
- (b) pay to the Authority, on such terms and conditions as the State Government may determine, by way of loans or grants such sums of money as the State Government may consider necessary for the discharge by the Authority of its functions under this Act.

18. Fund of the Authority.- (1) There shall be a fund for the Authority to be called "The Rajasthan State Bus Terminal Development Authority Fund" to which shall be credited all moneys received by the Authority, including,-

- (a) any fund, grant or loan received by the Authority from the State Government;
- (b) such other moneys as may be paid to the Authority by the State Government, Central Government or any other authority or agency by way of grant, loans, advances or otherwise;

- (c) any rental, fee or user charge collected by the Authority under this Act; and
- (d) any other sums received by the Authority.

(2) The fund of the Authority shall be utilized strictly for the purposes of this Act and not otherwise.

(3) The fund of the Authority shall be administered in such manner as may be prescribed by the rules.

19. Budget.- (1) The Authority shall prepare, in such form and at such time as may be prescribed by rules, its budget for each financial year showing estimated receipts and expenditure of the Authority, and forward the same for approval to the State Government.

(2) No sum shall be expended by or on behalf of the Authority unless the expenditure of the same is covered by the budget provisions approved by the State Government.

20. Investment of funds.- The Authority may keep in current or deposit account with any Scheduled Bank or any Co-operative Bank or other bank approved by the State Government in this behalf, such sum of money out of its fund as may be determined by the Authority and any money in excess of the said sum shall be invested in such manner as may be determined by the regulations.

21. Borrowing powers of the Authority.- The Authority may, with the consent of the State Government or in accordance with the terms of any general or special authority given to it by the State Government, borrow money for the purposes of this Act.

22. Annual Report.- The Authority shall, as soon as may be, after the end of each financial year, prepare and submit to the State Government in such form as may be prescribed by rules a report giving an account of its activities during the previous financial year and the report shall also give an account of the activities which are likely to be undertaken by the Authority during the current financial year.

23. Accounts and Audit.- The accounts of the Authority shall be maintained and audited in such manner as the State Government may, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, prescribe by rules and the Authority shall furnish to the State Government before such date as may be prescribed by rules, its audited copy of accounts together with the auditor's report thereon.

24. Annual report and auditor's report to be laid before the House of the State Legislature.- The State Government shall cause the annual report of the Authority and the auditor's report to be laid, as soon as may be, after they are received, before the House of the State Legislature.

CHAPTER VI *Offences and Penalties*

25. Removal of encroachment and imposition of penalty.- (1) Any officer authorized by the Authority in this behalf may remove any encroachment from the premises of a notified bus terminal, after giving a reasonable opportunity of being heard to the person concerned, and in doing so he may use reasonable force.

(2) In addition to removal of such encroachment, the officer referred to in sub-section (1) may also impose on the encroacher a penalty not exceeding rupees twenty five thousand and may recover such penalty along with the cost of removal of such encroachment from the encroacher.

26. Penalty for damage and defacement, etc.- Any officer authorized by the Authority in this behalf may impose on any person who wilfully damages or defaces the premises of a notified bus terminal or any part thereof or any property of the Authority or endangers the safety of buses, vehicles and persons using a notified bus terminal or any facility thereat, a penalty not exceeding rupees twenty five thousand and may recover such penalty along with the cost of restoring the property so damaged or defaced from such person.

27. General provision for punishment of offences.- Whoever contravenes any of the provisions of this Act or of any rules or regulations made thereunder, if no penalty is provided for such contravention, be liable to pay a penalty to the Authority,-

- (a) which may extend to rupees ten thousand, in case of first contravention; and
- (b) which shall not be less than rupees two thousand five hundred but which may extend to rupees fifty thousand, in case of second or subsequent contravention.

28. Offence by companies.- (1) Where an offence under this Act has been committed by a company; every person who, at the time the offence was committed, was incharge of, and was responsible to the company, for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence, and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company, and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purposes of this section,-

- (a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and
- (b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.

CHAPTER VII

Miscellaneous

29. Delegation of powers by the State Government.- The State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any power exercisable by it (except the powers conferred by section 37) under this Act shall, subject to such conditions and limitations, if any, as may be specified in the notification, be exercisable by the Authority or any other authority or by an officer of the State Government or the Authority, as may be specified in the notification.

30. Delegation of powers by the Authority.- The Authority may, by general or special order in writing, delegate to the Chairperson or any other member or to any officer of the Authority, subject to such conditions and limitations, if any, as

may be specified in the order, such of its powers and functions under this Act (except its powers under section 38) as it may deem necessary.

31. Appeal and revision.- (1) Any person aggrieved by a decision or an order of any officer under this Act may file an appeal within sixty days from the date of communication of such decision or order,-

(a) in case such officer is subordinate to the State Government, to the Secretary incharge of the Transport Department; and

(b) in case such officer is subordinate to the Authority, to the Authority:

Provided that the Secretary incharge of the Transport Department or the Authority, as the case may be, may, if he or it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing appeal within the said period, allow the appeal to be filed within a further period not exceeding sixty days.

(2) Any person aggrieved by a decision of the Secretary incharge of the Transport Department or the Authority, as the case may be, may file a revision petition before the State Government within ninety days from the date of communication of the decision or order:

Provided that the State Government may, if it is satisfied that the petitioner was prevented by sufficient cause from filing the revision within the said period, allow the revision petition to be filed within a further period not exceeding ninety days.

32. Bar of jurisdiction.- Save as provided in this Act, no appeal shall lie in any court or other authority and no civil court shall have any jurisdiction in respect of any matter in respect of which the State Government or the Authority, or any officer of the State Government or the Authority is empowered by or under this Act and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or proposed to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Act.

33. Conduct of inquiry.- An officer authorized in this behalf under this Act shall, if he decides to make an inquiry for the purposes of this Act, make an inquiry in such manner as may be prescribed by the regulations.

34. Members, officers and employees of the Authority to be public servants.- All members, officers and employees of the Authority shall, when acting or purporting to act in pursuance of

the provisions of this Act or of any rules or regulations made thereunder, be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

35. Protection of action taken in good faith.-No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Authority or any member or officer or employee of the Authority for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or of any rules or regulations made thereunder.

36. Duties of a police officer.- A police officer shall assist the Authority and its officers and employees in the exercise of their powers or in discharge of their functions under this Act or rules or regulations made thereunder.

37. Power of the State Government to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for -

- (a) the salary, allowances and other terms and conditions of service of the *non-official* members of the Authority under sub-section (2) of section 6;
- (b) the time, place and rules of procedure including the quorum of meetings of the Authority under sub-section (1) of section 7;
- (c) the charging and collection of rental, fee or user charges in connection with the services and the facilities to be provided by the Authority under sub-section (2) of section 12;
- (d) the manner of administration of fund of the Authority under sub-section (3) of the section 18;
- (e) the form in which, and the time at which, the budget is to be prepared under section 19;
- (f) the form in which an annual report shall be prepared by the Authority under section 22; and
- (g) the manner of maintaining the accounts of the Authority and the form in which the annual statement of accounts shall be furnished by the Authority under section 23.

38. Power of Authority to make regulations.- (1) The Authority may, by notification in the Official Gazette, make

regulations, not inconsistent with this Act and the rules made thereunder, to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the administrative and functional structure of the Authority under section 10;
- (b) the salary, allowances and other terms and conditions of service of officers and other employees of the Authority, under sub-section (2) of section 11;
- (c) terms and conditions of employment of consultant under sub-section (3) of section 11;
- (d) the contracts or classes of contracts which are to be sealed with the common seal of the Authority, under sub-section (1) of section 16;
- (e) the form and manner in which contracts shall be made by the Authority, under sub-section (2) of section 16;
- (f) the manner in which excess money of the Authority shall be invested, under section 20;
- (g) the manner in which inquiry shall be made under section 33;
- (h) securing the safety of buses, vehicles and persons using the notified bus terminal and preventing danger to the public arising from the use and operation of buses;
- (i) preventing obstruction within the notified bus terminal for its normal functioning;
- (j) prohibiting the parking or waiting of any vehicle or carriage within the notified bus terminal except in places specified by the Authority;
- (k) prohibiting or restricting access to any part of the notified bus terminal;
- (l) preserving order within the notified bus terminal and preventing damage to property etc.;
- (m) regulating or restricting advertising within the notified bus terminal;
- (n) requiring any person, if so directed by any officer appointed by the Authority in this behalf, to leave

the notified bus terminal or any particular part of the notified bus terminal; and

- (o) generally for the efficient and proper management, development and upgrade of the notified bus terminal.

(3) Any regulation made under any of the clauses (a) to (o) of sub-section (2) may provide that a contravention thereof shall be punishable with such fine not exceeding rupees twenty five thousand as may be specified by such regulations and in case of a continuing contravention with an additional fine not exceeding rupees five hundred per day as may be specified by such regulations for such contravention.

(4) No regulation made by the Authority under this section shall have effect until it has been approved by the State Government and published in the Official Gazette.

39. Rules and regulations to be laid before the House of the State Legislature.- Every rule and every regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or of the sessions immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in the rule or regulation or resolves that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation, as the case may be, shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

40. Recovery of penalty, etc.- Any penalty, cost or any other amount recoverable under this Act or the regulations made thereunder may, if not paid instantly, be recovered as an arrear of the land revenue on the certificate of an officer of the Authority authorized in this behalf.

41. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make an order, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for the removal of the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.